भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 602

23 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

बीपीएल परिवारों के लिए खाद्यान्न

602. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास 30 जून 2025 की तिथि के अनुसार देश में बीपीएल परिवारों से संबन्धित आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत पाँच वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को सरकारी खाद्यान्न योजनाओं के वितरण के लिए कौन सा तंत्र अपनाया जाता है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): वर्ष 2021 में, सरकार ने 12 संकेतकों को शामिल करते हुए, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे आयामों में अतिव्यापी विचलनों को एकत्रित करके गरीबी को मापने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) नामक एक व्यापक सूचकांक विकसित किया है। यह गरीब लोगों की हिस्सेदारी और जिस हद तक वे वंचित हैं, दोनों को मापता है। सूचकांक का दूसरा संस्करण वर्ष 2023 में जारी किया गया था। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, वर्ष 2015-16 और वर्ष 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का अनुपात 24.85% से घटकर 14.96% रह गया, जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान लगभग 135.5 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

...2/-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए), जिसे अखिल भारतीय स्तर पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, का उद्देश्य 75% तक ग्रामीण और 50% तक शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। अधिनियम के तहत लाभार्थियों की दो श्रेणियां हैं: (1) अंत्योदय अन्न योजना और (2) प्राथमिकता वाले परिवार। अधिनियम के तहत कोई बीपीएल श्रेणी नहीं है। अधिनियम के तहत, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार, जो सबसे गरीब हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के हकदार हैं, जबकि प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क पाने के हकदार हैं। वर्तमान में 81.35 करोड़ की आशयित कवरेज की तुलना में 80.56 करोड़ लाभार्थी निःशुल्क खाद्यान प्राप्त कर रहे हैं। अधिनियम के तहत कवरेज काफी अधिक है ताकि यह सुनुश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके।

एनएफएसए का संचालन केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारियों के तहत किया जाता है, जिसमें पात्र लाभार्थियों/परिवारों की पहचान और वितरण सहित परिचालन जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती हैं।

*****